न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः— **प्रकाश चन्द्र चौधरी** आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 03/2015

अनवानः—

1 गुरमेज सिंह पुत्र ज्ञान सिंह जाति कम्बोजसिख सा.ढालिया तह0 हनुमानगढ।
2 भजन सिंह पुत्र बन्ता सिंह जाति कम्बोजसिख सा.ढालिया तह0 हनुमानगढ।

प्रार्थीगण

बनाम

1 ग्राम पंचायत सतीपुरा जरिये सरपंच ग्रा0पं0सतीपुरा ।
2 छिन्द्र सिंह पुत्र कृपाल सिंह जाति कम्बोज सिख सा. ढालिया।

अप्रार्थीगण

निगरानी विरुद्ध पटटा सं0 16 दि0 02.11.81 ग्राम पंचायत सतीपुरा

प्रकरण सं. 04/2015

अनवानः—

1 गुरमेज सिंह पुत्र ज्ञान सिंह जाति कम्बोजसिख सा.ढालिया तह0 हनुमानगढ।
2 भजन सिंह पुत्र बन्ता सिंह जाति कम्बोजसिख सा.ढालिया तह0 हनुमानगढ।

प्रार्थीगण

बनाम

1 ग्राम पंचायत सतीपुरा जरिये सरपंच ग्रा0पं0 सतीपुरा।
2 ज्ञानसिंह पुत्र करतार सिंह जाति कम्मोसिख सा. ढालिया तह0 हनुमानगढ।

अप्रार्थीगण

निगरानी विरुद्ध पटटा सं0 17 दि0 02.11.81 ग्राम पंचायत सतीपुरा

प्रकरण सं0 05/2015

अनवानः—

1 गुरमेज सिंह पुत्र ज्ञान सिंह जाति कम्बोजसिख सा.ढालिया तह0 हनुमानगढ।
2 भजन सिंह पुत्र बन्ता सिंह जाति कम्बोजसिख सा.ढालिया तह0 हनुमानगढ।

प्रार्थीगण

बनाम

1 ग्राम पंचायत सतीपुरा जरिये सरपंच ग्रा0पं0सतीपुरा ।
2 हरसा सिंह पुत्र अर्जनसिंह जाति जटसिख सा. ढालिया तह0 हनुमानगढ।
3 पालकौर पत्नी गज्जन सिंह 4 रूढसिंह पुत्र सज्जन सिंह 5 कलवंत सिंह पुत्र गज्जन सिंह 6 गुरदीप सिंह पुत्र गज्जन सिंह 7 पाल सिंह पुत्र गज्जन सिह अकवाम जटसिख सा. ढालिया तह0 हनुमानगढ।

अप्रार्थीगण

निगरानी विरुद्ध पटटा सं0 18 दि0 02.11.81 ग्राम पंचायत सतीपुरा

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

उपस्थितः–

1 श्री राजेशदीप राय अभिभाषक प्रार्थीगण।
2 श्री राजेन्द्र मोटयार अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1
3 श्री दलीप सारस्वत अभिभाषक अप्रार्थीगण।

–:निर्णयः–

दिनांकः 14.11.2017

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त समस्त निगरानी प्रार्थना पत्र समान तथ्यों के साथ प्रस्तुत की गयी है। इसलिए इनका एक साथ निर्णय किया जा रहा है। निगरानी प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण गांव ढालिया ग्राम पंचायत सतीपुरा के स्थाई निवासी है। गांव ढालिया के मुख्य बस स्टेण्ड के दक्षिण की ओर जोहडा स्थित है। जिसमें पशु पानी पीते हैं तथा बरसात का पानी इकट्ठा होता है। निगरानी सं.0 3/15 के अप्रार्थी सं. 2 , निगरानी सं. 4/15 के अप्रार्थी सं. 2 व निगरानी सं. 5/15 के अप्रार्थी सं. 2 राजनैतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति हैं। अप्रार्थीयान ने तत्कालीन सरपंच से मिलीभगत कर उक्त जोहडा की भूमि के छिपे तौर पर अपने पक्ष में फर्जी व कूटरचित पटटा दिनांक 02.11.81 को जारी करवा लिये। अप्रार्थी सं. 1 के तत्कालीन सरपंच ने अप्रार्थीयान के नाजायज प्रभाव में आकर जोहडा की भूमि पर भूखण्ड दर्शाकर व मिथ्या रिकार्ड तैयार कर अप्रार्थीयान के नाम फर्जी व कूटरचित पटटा जारी किया जिसका ज्ञान प्रार्थीगण व ग्रामवासियों को कोई ज्ञान नहीं होने दिया। अप्रार्थीयान ने कथित पटटों दिनांक 02.11.81 के आधार पर जोहडा की भूमि पर कब्जा करने के उद्देश्य से दिनांक 14.2.15 को मिटटी डालना प्रारम्भ किया तब प्रार्थीगण व ग्रामवासियों ने इसका विरोध किया तो अप्रार्थीयान ने अभिकथित पटटों की चित्रप्रति प्रार्थीगण को दी तब सर्वप्रथम प्रार्थीगण को उक्त पटटों की जानकारी हुई। जोहडा की भूमि पर जारी पटटों से प्रार्थीगण विपरीत रूप से प्रभावित हैं। निगरानी निम्न आधारों पर प्रस्तुत की गयी हैः–

क– यह कि जोहडा की भूमि ग्राम के सभी व्यक्तियों की संयुक्त होती है। जोहडा की भूमि पर अप्रार्थी सं. 1 को पटटा जारी करने की अधिकारिता नहीं थी। अप्रार्थीयान के प्रभाव में आकर अभिकथित पटटे फर्जी व कूटरचित जारी किये हैं।

ख– यह कि ग्राम पंचायत अधिनियम के अनुसारयदि किसी भूखण्ड पर किसी व्यक्ति का कब्जा होता है तथा उसकी नीलामी में कम कीमत प्राप्त होने की उम्मीद हो तो ग्राम पंचायत उप रजिस्ट्रार कार्यालय से कीमत मालूम कर प्राईवेट बातचीत के जरिये कम से कम डीएलसी कीमत पर भूखण्ड देगा लेकिन हस्तगत प्रकरणों में इस संबंध में कोई पालना नहीं की गयी।

ग– यह कि तत्कालीन सरपंच ने अप्रार्थीयान को नाजायज लाभ देने के उद्देश्य से जोहडा की भूमि पर प्रश्नगत पटटे विधि विरूद्ध व फर्जी कार्यवाही कर पीछे की तारीख में जारी किये हैं। अप्रार्थीयान के पक्ष में जारी पट्टे पुरानी रिहायश के आधार पर जारी किये हैं जबकि अप्रार्थीयान का कभी उक्त भूखण्डों पर कब्जा नहीं रहा। नक्शा अनुमोदित नहीं कराया गया ।

ड– अभिकथित पटटे जारी करने से पूर्व कोई आपति नोटिस जारी नहीं किये गये ना ही आपतियां आमंत्रित की गयी ।

निगरानी प्रार्थना पत्र देरी से प्रस्तुत करने के कारण अंकित करते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र सलंग्न प्रस्तुत किये गये हैं।

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

निगरानी प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किये जाकर अप्रार्थीयान की तलबी की गयी तथा ग्राम पंचायत का रिकार्ड तलब कर सलंग्न किया गया।

अप्रार्थीयान द्वारा जबाब स्थगन प्रार्थना पत्र व प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का जबाब प्रस्तुत किया गया। धारा 5 मियाद अधिनियम की बहस में अभिभाषक प्रार्थीयान द्वारा प्रार्थना पत्र मे अंकित कथनों की पुष्टि करते हुए तर्क किया कि प्रार्थीयान को जानकारी की दिनांक से निगरानी प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत किये गये हैं। साथ ही यह भी बताया कि विधि विरूद्ध पारित आदेश/पट्टा की निगरानी कभी भी प्रस्तुत की जा सकती है। इसलिए निगरानी प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद हैं। बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1992 पेज 17, आरआरडी 1992 पेज 337,आरआरडी 1998 पेज 319 प्रस्तुत किये गये।

इसके विरोध में अभिभाषक अप्रार्थीयान द्वारा बहस में बताया कि हस्तगत निगरानी में उल्लेखित पटटों की जानकारी प्रार्थीयान को शुरू से ही थी जबकि निगरानी 35 वर्ष बाद प्रस्तुत की गयी है। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य मियाद बाहर प्रकरण को मियाद में लेने के आश्य से मिथ्या व निराधार अंकित करवाये हैं। इसलिए हस्तगत निगरानी मियाद के बिन्दु पर खारिज फरमायी जावे। बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2004 (1) राज0 पेज 6 व डीएनजे 2012 (2) राज0 602 प्रस्तुत किये गये।

मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अध्ययन किया गया। अभिभाषक प्रार्थीयान का कथन है कि प्रश्नगत पट्टों की जानकारी से निगरानी प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद है, जबकि अभिभाषक अप्रार्थीयान द्वारा इसका विरोध करते हुए कथन किया कि निगरानी लगभग 35 वर्ष बाद प्रस्तुत की गयी है, जो मियाद बाहर है। प्रकरण की विषयवस्तु स्थावर (Immovable) सम्पति भूखण्ड से सम्बंधित है, जिसके सम्बन्ध में जारी चुनौतीग्रस्त पट्टों के बाबत गुणावगुण पर विचार करने के पर्याप्त कारण विद्यमान है। लिहाजा प्रार्थीगण की जानकारी दिनांक से निगरानी प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत किये जाने की दलील स्वीकार किये जाने योग्य है, अतः निगरानी प्रार्थना पत्र अंदर मियाद शुमार किये जाते हैं।

उभय पक्ष की अन्तिम बहस सुनी गयी। अभिभाषक निगरानीकर्ता द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्रों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीयान के नाम जारी निगरानी अधीन पटटे पुराने कब्जे के आधार पर जारी किये गये हैं जबकि प्रार्थीयान द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत फोटो ग्राफस के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आज भी अप्रार्थीयान का प्रश्नगत भूखण्डों पर कोई निर्माण नहीं है। जबकि पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रश्नगत जगह पर पुराना कब्जा व निर्माण होना सिद्ध होना चाहिए। इस प्रकार अप्रार्थीयान ने अप्रार्थी सं. 1 से मिलीभगत कर विधि विरूद्ध तरीके से जोहड़ा की जगह पर प्रश्नगत भूखण्डों के पटटे जारी करवाये हैं। जिनको निरस्त फरमाया जावे। अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत डीएनजे 2016(3) राज0 पेज 1202, डीएनजे 2015(2) राज0 पेज 595, डीएनजे 2015(1) राज0 पेज 443, डीएनजे 2009(2) राज0 पेज 982, डीएनजे 2003(3) राज0 पेज 1126, आरएल डब्ल्यु 1996 (3) राज0 पेज 138 प्रस्तुत किये गये।

अभिभाषक अप्रार्थीयान द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थीयान के कब्जा शुदा प्लाट का पटटा विधि पूर्वक तरीके से ग्राम पंचायत द्वारा पंचों की

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज0)

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

कमेटी गठित कर हस्तगत भूखण्डों के पटटे जारी किये गये हैं। प्रार्थीयान यह सिद्ध नहीं कर सके कि प्रश्नगत पटटे जोहड़ा की जगह पर जारी किये गये हैं। चक 38 एनजीसी की परचा खतौनी ग्राम ढालिया में प0नं0 157/250, 157/251, 157/252 में आबादी भूमि दर्ज हे। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त आबादी भूमि में से प0नं0 157/252 में भूखण्ड में से अप्रार्थीयान को पटटे जारी किये गये हैं। अप्रार्थीयान ने अपने पटटे शुद्धा भूमि पर पूर्व में मिटटी डाली हुई है व निर्माण किया हुआ है तथा अपने कृषि यंत्र खाद सामग्री आदि रखी हुई है तथा गत 35 वर्षो से शांतिपूर्वक उपयोग व उपभोग में ले रहे हैं। इसलिए हस्तगत निगरानी प्रार्थना पत्रों में चुनौती अधीन भूखण्डों के पटटे विधि पूर्वक जारी किये जाने के कारण निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किये जावें। अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2004(1) पेज 7, डीएनजे 2009(1)राज0 पेज 499, डीएनजे 2006(2)राज0 पेज 679 प्रस्तुत किये गये।

अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1 द्वारा अपनी बहस में बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रकिया अपनाकर हस्तगत पट्टे जारी किये गये है, इसलिए निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किये जावें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड व ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड तथा उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीयान का मुख्य तर्क यह है कि अप्रार्थीयान को हस्तगत पटटे पंचायती राज अधिनियम 1961 की धारा 266 के तहत जारी किये गये हैं। इस धारा में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि पर आवासीय प्रयोजन से पुराने निर्माण शुदा कब्जों को नियमन/आवंटन किया जाता है। पुराने कब्जों से आश्य यह होगा कि अमूक व्यक्ति प्रश्नगत भूखण्ड पर निर्माण कर रिहायश आदि कर रहा हो उसको ही आवंटन किया जा सकता है, परन्तु हस्तगत प्रार्थना पत्रों में चुनौती अधीन पटटों के फोटोग्राफस के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आदिनांक तक भी प्रश्नगत पटटों की जगह खाली हैं इन पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं है। इसके समर्थन में प्रार्थीयान द्वारा जो फोटोग्राफ पेश किये हैं, उनके अवलोकन से प्रार्थीयान द्वारा दर्ज किये गये तथ्य सिद्ध होते हैं। अभिभाषक अप्रार्थीयान ने अभिभाषक प्रार्थीयान के इन तथ्यों का किसी भी साक्ष्य से खण्डन नहीं किया है। ग्राम पंचायत के रिकार्ड से तत्समय इन भूखण्डों में कोई निर्माण/सरंचना होना नहीं पाया जाता है। पंचायती राज अधिनियम 1961 की धारा 266 के तहत जारी किये जाने वाले पट्टे से संबंधित भूखण्ड पर आवेदक कर्ता का आवासीय प्रयोजन से कब्जा सिद्ध होना चाहिए, परन्तु इन तीनों प्रकरणों में अप्रार्थीयान का आज दिनांक को भी कोई निर्माण होना सिद्ध नहीं होता है। जब निर्माण ही नहीं है तो उस स्थान का पटटा जारी किया जाना विधिवत नहीं है। ऐसी स्थिति में हस्तगत निगरानी प्रार्थना पत्रों में चुनौती अधीन भूखण्डों के पटटे निरस्त योग्य हैं।

अतः निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाते हैं तथा चुनौती अधीन ग्राम पंचायत सतीपुरा द्वारा जारी पट्टा सं0 16,17,18 दिनांक 02.11.1981 निरस्त किये जाते हैं। निर्णय की एक–एक प्रति प्रत्येक पत्रावली में रखी जावे। निर्णय की प्रति सहित ग्राम पंचायत का रिकार्ड वापिस लौटाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज0)

(प्रकाश चन्द्र चौधरी)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़